रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-**1238**/2026/573/22-2-2026-17(121)/2025

लखनऊ: दिनांक: **28** सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी विमल कुमार उर्फ दन्ना (बन्दी संख्या-48539) पुत्र श्री रामचन्दर, निवासी-परसापुरवा मजरा-परौरी, थाना-धौरहरा, जनपद-लखीमपुर-खीरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-783, 784/2010 में धारा-302, 504 आई०पी०सी० व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 27.08.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 25.02.2026 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 05 दिन तथा 19 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-**1238**/2026/573(1)/22-2-2026 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर-खीरी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।